विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
13- (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को दस वर्ष की निरन्तर सेवा के फलस्वरूप चयन वेतनमान प्रदान किये जाने की व्यवस्था है?	जी हाँ।
(ख) यदि हॉ, तो क्या अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों/शिक्षिकाओं को उक्त का लाभ दिया जायेगा ?	प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान शासनादेश संख्या-4307/15-8-3038/99, दिनांक 20.12.2001 में है।
(ग) यदि हॉ, तो कब से?	उक्तवत्।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

संदीप सिंह
राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)।